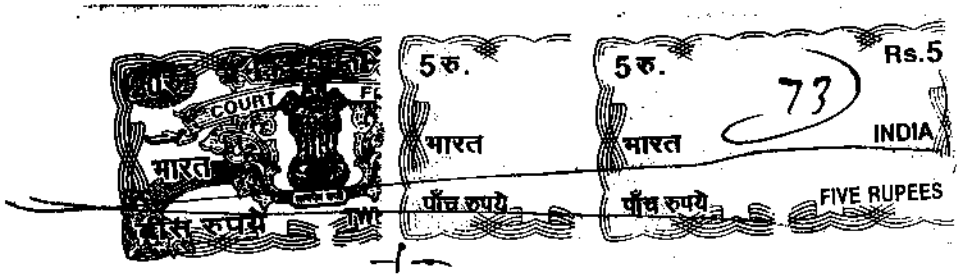

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर

निग – 1908 – II – 16

प्रकरण कमांक –एक/2016 निगरानी

1– बैजनाथ पुत्र मंगल अहिरवार

2– श्रीमती गायत्री पत्नि बैजनाथ अहिरवार

दोनों कृषकगण ग्राम सुन्दरपुर

तहसील टीकमगढ़,

जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश

---आवेदकगण

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा

कलेक्टर जिला टीकमगढ़

---अनावेदक

(निगरानी अंतर्गत धारा 50 , मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता,1959 – अपर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 72 बी–121/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 31–8–2015 के विरुद्ध)

कृ0पृ030––2

XXXIX(a)-BR (H)-11 राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

प्रकरण कमांक 1908-एक/2016 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस
5-8-16	यह निगरानी अपर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 72 बी-121/2014-15 में पारित आदेश दिनॉक 31-8-2015 के विरूध्द मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 76अ-19/1986-87 में पारित आदेश दिनांक 20-5-1986 से बैजनाथ पुत्र मंगलदास एंव श्रीमती गायत्री पत्नि बैजनाथ अहिरवार के नाम ग्राम बकपुरा की भूमि सर्वे कमांक 505/2 रकबा 2-023 हैक्टर का संयुक्त पट्टा प्रदान किया। पट्टे का अमल ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 88 पर दिनांक 25-5-86 में किया गया। यह भूमि आवेदकगण के नाम खसरा पॉचशाला वर्ष 2003-04 तक भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज चली आई, किन्तु वाद के खसरे में हलका पटवारी ने नायब तहसीलदार समर्रा के प्रकरण कमांक 12 बी 121/ अ-6अ/02-03 आदेश दिनांक 4-8-2003 का उल्लेख कर मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज कर दी। आवेदकगण ने अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष पटवारी व्दारा की गई अनियमित प्रविष्टि दुरूस्त करने हेतु म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 72 बी-121/2014-15 पंजीबद्ध किया एंव सुनवाई एंव जांच उपरांत आदेश दिनॉक 31-8-2015 पारित किया तथा आवेदकों	

का आवेदन अमान्य करते हुये तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का निर्णय लिया एंव साथ ही ग्राम बकपुरा की भूमि सर्वे कमांक 505/2 रकबा 2-023 हैक्टर पर आवेदकगण के नाम की अधिकारितविहीन प्रविष्टि होना माना। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक एंव म0प्र0शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि तहसीलदार टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 76अ-19/1986-87 में पारित आदेश दिनांक 20-5-1986 से आवेदकगण के हित में ग्राम बकपुरा की भूमि सर्वे कमांक 505/2 रकबा 2-023 हैक्टर का संयुक्त पट्टा प्रदान किया है जैसाकि पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति से तथा ग्राम नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 88 पर दिनांक 25-5-86 में की गई प्रविष्टि से एंव अपर कलेक्टर के आदेश दिनॉक 31-8-15 के पद एक में दिये गये विवरण से स्पष्ट है।

5/ आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत खसरा पंचशाला वर्ष 19989-90 लगायत 1992-93 तथा 1994-95 लगायत 1997-98 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई है जिनमें आवेदकगण के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर ग्राम बकपुरा की भूमि सर्वे कमांक 505/2 रकबा 2-023 हैक्टर दर्ज है। पटवारी हलका नंबर 52 व्दारा तहसीलदार टीकमगढ़ को प्रस्तुत स्थल जॉच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति भी प्रस्तुत की गई है जिसमें प्रतिवेदित है कि :-

XXXIX(a)-BR (H)-11 राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ ....

प्रकरण क्रमांक 1908–एक/2016 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार आदि...
	" दिनांक 8–9–13 को ग्राम बकपुरा में गया वहां पर जाकर आवेदक बैजनाथ तथा मंगलदास व गायत्री पत्नि बैजनाथ जाति अहिरवार निवासी सुन्दरपुर का आवेदित भूमि खसरा नंबर 505/2 रकबा 2.023 है0 का मेरे व्दारा पंचों व सरहदी कृषकों के समक्ष मौका देखा गया और मौके पर उपस्थित पंचान व सरहदी कृषकों से पूछताछ की गई तो बताया है कि उक्त भूमि खसरा नंबर 505/2 रकबा 2.023 है0 पर आवेदकगणों का 1986–87 के पूर्व से फसली कब्जा रहा है। आवेदकगणों ने पत्थर खोदे हैं बंधिया डाली है और भूमि को कृषि योग्य बना लिया है। अब उक्त भूमि तालाब डूब में चली गई है। उक्त भूमि पटवारी अभिलेख में म0प्र0शासन बंजर के रूप में दर्ज है उक्त भूमि पहले आवेदकगणों के नाम से भूमिस्वामी दर्ज थी जो नामान्तरण पंजी कमांक 1 राजस्व प्रकरण कमांक 12 बी 121 अ–6–अ वर्ष 2002–03 आदेश श्रीमान नायब तहसीलदार समर्रा के आदेश दिनांक 4–8–03 के अनुसार म0प्र0शासन दर्ज हो चुकी है। आवेदकगण बहुत गरीब व्यक्ति है इसलिये इनके नाम से भूमिस्वामी पटटा दर्ज किये जाने हेतु श्रीमान की सेवा में मय पंचानामा रिपोर्ट प्रेषित है। "	
	हलका पटवारी की रिपोर्ट अनुसार आवेदकगण का मौके पर खेती करना परिलक्षित है तथा भूमि आवेदकगण के पटटे की है इस प्रकार आवेदकगण व्दारा पटटे प्राप्ति उपरांत भूमि को मेहनत करके एंव धन व श्रम व्यय करके कृषि योग्य बनाया है आवेदकगण के हित में तहसीलदार टीकमगढ व्दारा प्रकरण कमांक 76अ–19/ 1986–87 में पारित आदेश दिनांक 20–5–1986 प्रदत्त पटटा जब तक जीवित है आवेदकगण को वाद विचारित भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता और न ही भूमि शासकीय दर्ज की जा सकती।	
	भू राजस्व संहिता 1959 – धारा 50 सहपठित राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–3 – भूमि का आवंटन किया गया– सरकारी भूमि	

निग - 1908-I/16 (टीकमगढ़)

प्र0क्र0 1908-एक/2016 निगरानी

घोषित नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों व्दारा गल्तियाँ की गई - प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई त्रुटियों के कारण पात्र भूमिहीन आवंटिति को आवंटन के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। (इन्दर सिंह तथा अन्य विरुद्ध म0प्र0शासन 2009 रा0नि0 251 से अनुसरित)

प्रस्तुत दस्तावेजों अनुसार आवेदकगण वादग्रस्त भूमि के पट्टाधारी होकर अभिलिखित रिकार्डेड भूमिस्वामी है और ऐसे भूमिस्वामी के अधिकार पटवारी अथवा नायव तहसीलदार व्दारा रिकार्ड में अनुचित प्रविष्टि कर छीने नहीं जा सकते । विचाराधीन प्रकरण में नायव तहसीलदार समर्रा के प्रकरण कमांक 12 बी 121/अ-6अ/रत आदेश दिनांक 4-8-2003 डालकर हलका पटवारी व्दारा आवेदकगण के नाम की भूमिस्वामी स्वत्व की प्रविष्टि विलोपित करना नियमानुसार नहीं पाया गया है तथा आवेदकगण व्दारा तद्नुसार संहिता की धारा 32 के अंतर्गत अपर कलेक्टर को प्रस्तुत आवेदन पर से अभिलेख के विपरीत अर्थ निकालते हुये अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 72 बी-121/2014-15 में पारित आदेश दिनाँक 31-8-2015 से आवेदकगण के आवेदन को निरस्त करने में भूल की है जिसके कारण अपर कलेक्टर व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 72 बी-121/2014-15 में पारित आदेश दिनाँक 31-8-2015 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव ग्राम बकपुरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 505/2 रकबा 2-023 हैक्टर पर आवेदकगण के नाम की प्रविष्टि शासकीय अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

सदस्य